रजिस्ट्री सं० डी--(डीएन)---128/89

REGISTERED No. D--(DN)--128/89

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 22, 1989 (आषाढ़ 31, 1911)
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 22, 1989 (ASADHA 31, 1911)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	565
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	715
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	973
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल हैं) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	619
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	681
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	671
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी, निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	693
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को निकालने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	565
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	745
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	973
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . .	
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	619
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	681
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	671
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	93
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

(पी० यू० ब्रांच)

नई दिल्ली—110001, दिनांक 16 जून 1989

सं० 4/1-पी यू/89—श्री अजित कुमार साहा ने सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति की सदस्यता से 9 जून, 1989 से त्यागपत्र दे दिया है।

(रे० अ० म० शाखा)

नई दिल्ली—110001, दिनांक 22 जून 1989

सं० 4/5/85—आर० सी० सी०—श्री धरनी धर बासुमतारी का राज्य सभा के सदस्य के रूप में 14 जून, 1989 को कार्यकाल समाप्त होने के कारण रिक्त हुए स्थान पर श्री टी० चन्द्रशेखर रेड्डी, सदस्य, राज्य सभा को रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा रेलवे वित्त और सामान्य वित्त से संबंधित अन्य आनुषंगिक मामलों की पुनरीक्षा करने वाली संसदीय समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए 19 जून, 1989 से मनोनीत किया है।

आर० डी० शर्मा, संयुक्त सचिव

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 1989

सं० 9/1/89-के०से०(II)—दिसम्बर, 1989 में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा केन्द्रीय सचिवालय, लिपिक सेवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा, पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना), केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा भारत निर्वाचन आयोग के सचिवालय के उच्च श्रेणी ग्रेड को चयन सूचियों में सम्मिलित करने के लिए एक सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिए नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

2. चयन सूचियों में सम्मिलित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में बता दी जाएगी। केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण किए जाएंगे।

अनुसूचित जाति/आदिम जाति का अभिप्राय उस किसी भी जाति से है जो निम्नलिखित में उल्लिखित है:—

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संशोधन), आदेश, 1956, बम्बई, पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, तथा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा, संशोधित किए गए के अनुसार संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति, आदेश, 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश), आदेश, 1967 संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968 संविधान (नागालैंड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970 और संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 तथा संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जन जाति आदेश 1978 संविधान (मेघालय) अनुसूचित जनजाति (संशोधन) आदेश 1987।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा का कार्य संचालन इन नियमों के परिशिष्ट में विहित विधि से किया जाएगा।

किस तारीख को और किन-किन स्थानों पर परीक्षा ली जाएगी, इसका निर्धारण आयोग करेगा।

4. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय, लिपिक सेवा अथवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के अवर श्रेणी ग्रेड का ऐसा कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी प्राधिकारी जो 1 अगस्त, 1989 को निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो, इस परीक्षा में बैठ सकेगा:—

(1) 1 अगस्त, 1989 को केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में अथवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अवर श्रेणी लिपिक के पद पर उसकी पांच वर्ष से कम की अनुमोदित तथा लगातार सेवा अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय में उसकी 3 वर्ष से कम की अनुमोदित तथा लगातार सेवा नहीं होनी चाहिए।

परन्तु यदि केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अवर श्रेणी ग्रेड में उस की नियुक्ति प्रतियोगितात्मक परीक्षा जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम से कम पांच वर्ष पहले घोषित हुए होने चाहिए तथा उसकी उस ग्रेड में कम से कम चार वर्ष की अनुमोदित और लगातार सेवा होनी चाहिए।

परन्तु यदि भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय के अवर श्रेणी लिपिक के पद पर उसकी नियुक्ति प्रतियोगितात्मक परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा भी शामिल हैं, के परिणाम के आधार पर हुई हों, तो ऐसी परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम से कम 3 वर्ष पहले घोषित हुए होने चाहिए तथा उसकी उस ग्रेड में कम से कम 2 वर्ष की अनुमोदित और लगातार सेवा होनी चाहिए।

टिप्पणी—1 स्वीकृत तथा लगातार सेवा की 5 वर्ष की सीमा उस अवस्था में भी लागू होगी यदि किसी उम्मीदवार की कुल विचारणीय सेवा अंशतः केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में और अंशतः उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में की गई हो।

टिप्पणी–2: अनुमोदित तथा लगातार सेवा की 3 वर्ष की सीमा उस अवस्था में भी लागू होगी, यदि किसी उम्मीदवार की कुल विचारणीय सेवा अंशतः भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में और अंशतः उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में की गई हो।

टिप्पणी–3 : केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय अथवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग का कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अवर श्रेणी लिपिक, जिसमें 26 अक्तूबर, 1962 को जारी की गई आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में अर्थात 26 अक्तूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेवा में सेवा की हो, सशस्त्र सेना से प्रत्यावर्तन पर सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की (अवधि प्रशिक्षण की अवधि मिलाकर यदि कोई हो) निर्धारित न्यूनतम सेवा में गिन सकेगा; अथवा

टिप्पणी–4 : ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से निःसंवर्गीय पदों, पर प्रतिनियुक्ति हो उन्हें, अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में भाग लेने का पात्र समझा जाएगा। तथा वह बात उन अवर श्रेणी लिपिकों पर लागू नहीं होती जो स्थानान्तरित रूप में निःसंवर्गीय पदों पर या अन्य सेवा में नियुक्त किए गए हों, और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय अथवा पर्यटन विभाग (मुख्यालय स्थापना) अथवा सतर्कता आयोग के निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहण अधिकारी (लियन) न रखते हों

(2) आयु :–

(क) यदि वह पैरा 1 में वर्णित किन्हीं भी सेवाओं में स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अवर श्रेणी लिपिक है तो 1–8–1989 को उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात उसका जन्म 2 अगस्त, 1939 से पूर्व नहीं हुआ हो।

(ख) उपरलिखित ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित और छूट होगी : –

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जनजाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का सद्भाविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत–श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रवजन किया हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो और श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रवजन किया हो या करने वाला हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(vi) यदि उम्मीदवार भारत मूल का व्यक्ति हो, और उसने कीनिया युगांडा या तंजानिया संयुक्त गणराज्य से प्रवजन किया हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(vii) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और किसी अनुसूचित या आदिम जाति का हो तो केन्या, युगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन हो तो अधिकतम 8 वर्ष तक,

(viii) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक प्रत्यावर्तित, भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(ix) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(x) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रव–ग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियों को करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी में निर्मुक्त रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(xi) किसी दूसरे देश के संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रव–ग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियां करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों से संबंधित रक्षा सेवा कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 8 वर्ष तक,

(xii) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(xiii) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कार्मिकों के मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हों।

(xiv) यदि उम्मीदवार वियतनाम में भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है, तथा भारत में जुलाई, 1975 से पहले नहीं आया हो तो उसके मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक, और

(xv) यदि उम्मीदवार वियतनाम में भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है, तथा भारत में जुलाई, 1975 से पहले नहीं आया हो और वास्तविक वह किसी अनुसूचित या आदिम जाति का हो तो उसके मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक,

(xvi) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान से आया हुआ विस्थापित हो और पहली जनवरी, 1971 से 31 मार्च, 1973 के दौरान प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष,

(xvii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो और भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान से आया हुआ विस्थापित है और पहली जनवरी, 1971 से 31 मार्च, 1973 के दौरान प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष जो कि उपरोक्त पैरा (xvi) के अतिरिक्त होगी, और ऊपर बताई गई स्थितियों के अतिरिक्त निर्धारित आयु सीमा में किसी भी अवस्था में छूट नहीं दी जाएगी।

(3) टंकण परीक्षा :– यदि किसी उम्मीदवार को अवर श्रेणी ग्रेड में स्थाईकरण के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग/सचिवालय प्रशिक्षणशाला सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान (परीक्षा स्कन्ध) अधीनस्थ सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग की मासिक/तिमाही टाईप की परीक्षा

उत्तीर्ण करने से छूट न मिली हो तो इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या इससे पहले वह टाईप की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए।

5. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में इस आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

6. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो।

7. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने :—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य कराया है अथवा

(iv) जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है, जिसमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिये हों, या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने लिये किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाये है, अथवा

(viii) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(ix) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी कार्य द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है, और उसके साथ ही उसे —

(क) आयोग द्वारा इस परीक्षा, जिसका यह उम्मीदवार है, के लिये अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिये:—

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिये,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे उसके अधीन किसी भी नौकरी से, वारित किया जा सकता है, और

(ग) उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

8. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त करने में कोई कोशिश करेगा तो आयोग द्वारा उसका आचरण ऐसा समझा जायेगा जिसमें उसे परीक्षा में बैठने के लिये अयोग्य करार दिया जायेगा।

9. उन उम्मीदवारों को छोड़कर जो इस आयोग की विज्ञप्ति के उपबन्धों के अनुसार फीस माफी का दावा करते हैं, बाकी उम्मीदवारों निर्धारित फीस का भुगतान आवश्यक करना चाहिये।

10. आयोग परीक्षा के बाद हरेक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिये गये कुल अंकों के आधार पर उनकी योग्यता के क्रम से उनके नामों की पांच अलग-अलग सूचियां तैयार करेगा और उसी क्रम से उतने ही उम्मीदवारों के नाम अपेक्षित संख्या तक उच्च श्रेणी ग्रेड का प्रवर सूची में शामिल करने की सिफारिश करेगा जो आयोग के निर्णय के अनुसार परीक्षा द्वारा योग्य माने गये हों।

परन्तु यदि किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों तक नहीं भरे जा सकते, तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिये स्तर में छूट देकर परीक्षा में योग्यता क्रम में उनके रैंक का ध्यान किये बिना, यदि वे योग्य हुए तो आयोग द्वारा सिफारिश की जा सकेगी।

टिप्पणी:—उम्मीदवारों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये कि कि यदि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा (क्वालिफाइंग एक्जामिनेशन)।

इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में कितने उम्मीदवार के नाम शामिल किये जायें, उनका निर्णय करने के लिये सरकार पूरी तरह सक्षम है। इसलिये कोई भी उम्मीदवार अधिकारी के तौर पर इस बात पर कोई दावा नहीं कर सकेगा कि उसके द्वारा परीक्षा में दिये गये उत्तरों के आधार पर उसका नाम प्रवर सूची में शामिल किया जाये।

11. हर उम्मीदवार को परीक्षा फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाये इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामों के बारे में उनके कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

12. परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने से चयन का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि संबंधित प्राधिकारी आवश्यक जांच के बाद सन्तुष्ट न हो जाये कि सेवा में उसके आचरण को देखते हुए उम्मीदवार हर प्रकार से चयन में लिये उपयुक्त हैं।

किन्तु इस सम्बन्ध में निर्णय कि क्या आयोग द्वारा चयन के लिये सिफारिश किया गया कोई विशेष उम्मीदवार उपयुक्त नहीं है, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से किया जायेगा।

13. जो उम्मीदवार परीक्षा में बैठने के लिये आवेदन पत्र देने के बाद या परीक्षा में बैठ जाने के बाद केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा/निर्वाचन आयोग/पर्यटन विभाग/केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अपने पद से त्याग पत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सेवा को छोड़ देगा या उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा या जिसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई हो या किसी निःसंवर्गीय पद या दूसरी सेवा में "स्थानान्तरित" द्वारा नियुक्त किया जा चुका है, और के० स० लि० रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा/निर्वाचन आयोग/पर्यटन विभाग केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहण अधिकार न रखता हो, वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

तथापि यह उस अवर श्रेणी लिपिक पर लागू नहीं होता जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति किया जा चुका हो।

डा० रवीन्द्र सिंह, अवर सचिव

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार होगी.—

भाग–1 नीचे परिच्छेद में बताये गये विषयों की कुल 300 अंकों की लिखित परीक्षा।

भाग –2 आयोग द्वारा विवेकानुसार ऐसे उम्मीदवारों के सेवा वृत्तों (रिकार्ड आफ सर्विस) का मूल्यांकन जो लिखित परीक्षा में ऐसा न्यूनतम स्तर प्राप्त करते हैं, जिसके बारे में आयोग फैसला करेगा, और उसके लिये अधिकतम अंक 100 होंगे।

2. भाग I में बताई गई लिखित परीक्षा के विषय प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिये अधिकतम अंक तथा दिया जाने वाला समय इस प्रकार होगा:—

विषय	अधिकतम अंक	समय
प्रश्न पत्र–1:– (वस्तुनिष्ठ प्रकार)		
(क) सामान्य ज्ञान 100 प्रश्न	200 अंक	2 घण्टे
(ख) अंग्रेजी भाषा का परिणाम तथा लेखन योग्यता 100 प्रश्न	100 अंक	2 घण्टे
प्रश्न पत्र II:–टिप्पण, आलेखन तथा तथा कार्यालय पद्धति		

प्रश्न पत्र 1 :—वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रकार का होगा जबकि प्रश्न पत्र II वर्णनात्मक प्रकार का होगा।

टिप्पणी:– निम्नलिखित तीनों श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिये टिप्पण, प्रारूप लेखन तथा कार्यालय पद्धति के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे:—

(1) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, पर्यटन विभाग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग।

(2) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा, और

(3) निर्वाचन आयोग।

3. परीक्षा का पाठ्य विवरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार होगा:—

टिप्पणी–1: उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र II, टिप्पण, आलेखन तथा तथा कार्यालय पद्धति के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी के देने का विकल्प दिया जाता है।

टिप्पणी–2:–यह विकल्प पूरे प्रश्न पत्र के लिये होगा न कि एक ही प्रश्न पत्र में अलग अलग प्रश्नों के लिये।

टिप्पणी–3: जो उम्मीदवार उपरोक्त प्रश्न पत्र के उत्तर अंग्रेजी में अथवा हिन्दी (देवनागरी) में लिखना चाहता है उन्हें यह बात आवेदन पत्र के कालम 6 में स्पष्ट रूप में लिख देना चाहिये अन्यथा यह समझा जायेगा कि वे प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में लिखेंगे

टिप्पणी–4:—एक बार रखा गया विकल्प अन्तिम माना जायेगा और आवेदन पत्र के कालम 6 में परिवर्तन करने से संबंधित कोई अनुरोध साधारणतया स्वीकार नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी–5: प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में दिये जायेंगे।

टिप्पणी–6: उम्मीदवारों द्वारा अपनाई गई (आप्ट की गई) भाषा को छोड़कर अन्य किसी भाषा में लिखे प्रश्न पत्र दो उत्तर कोई महत्व नहीं दिया जायेगा।

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिये अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

6. आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक (क्वालिफाइंग मार्क्स) निर्धारित कर सकता है।

7. केवल कोरे सतही ज्ञान के लिये अंक नहीं दिये जायेंगे।

8. खराब लिखावट के कारण लिखित विषयों के अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत तक अंक काट दिये जायेंगे।

9. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि भावाभि व्यक्ति कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई है।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्यक्रम विवरण

प्रश्न पत्र 1(क) सामान्य जानकारी–प्रश्न उम्मीदवार के आसपास के पर्यावरण के प्रति उसकी सामान्य जानकारी तथा समाज के प्रति उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उम्मीदवार की योग्यता की जांच करने के लिये पूछे जायेंगे। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन पर्यवेक्षण के ऐसे मामलों और उनके वैज्ञानिक पहलुओं के सम्बन्ध में भी ज्ञान की जांच करने के लिये प्रश्न पूछे जायेंगे, जिनकी जानकारी को अपेक्षा एक शिक्षित व्यक्ति से की जाती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों से सम्बन्ध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक दृश्य, सामान्य राज्य व्यवस्था तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान से संबंधित प्रश्न भी पूछे जायेंगे।

(ख) अंग्रेजी भाषा का परिज्ञान तथा लेखन योग्यता– इस परीक्षा में अंग्रेजी भाषा, शब्दावली, बर्तनी, व्याकरण, वाक्य संरचना, सानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, वाक्य पूरे करना, वाक्यांश तथा शब्दों के मुहावरेदार प्रयोग इत्यादि के सम्बन्ध में उम्मीदवार के विवेक तथा ज्ञान को आंकने के लिये प्रश्न तैयार किये जायेंगे। इसमें अनुच्छेद परिज्ञान पर भी प्रश्न होंगे:–

प्रश्न पत्र 1:–टिप्पणी व आलेख तथा कार्यालय पद्धति : इस प्रश्न पत्र का प्रयोजन सचिवालय तथा सम्बन्ध कार्यालयों में कार्यालय पद्धति के बारे में उम्मीदवारों का ज्ञान और सामान्यतः टिप्पण व आलेखन के लिखने तथा समझने में उम्मीदवारों की योग्यता जांचना है।

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, पर्यटन विभाग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के उम्मीदवारों को चाहिये कि इसके लिये कार्यालय पद्धति की नियम पुस्तक (मैनुअल आफ आफिस प्रोसीजर)—सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा जारी की गई कार्यालय पद्धति पर टिप्पणियां रूल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट आफ बिजिलेंस इन लोक सभा एण्ड राज्य सभा तथा संघ के शासकीय प्रयोजन के लिये हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेश पुस्तिका पढ़ें।

रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के उम्मीदवारों को चाहिये कि रेलवे बोर्ड द्वारा जारी की गई कार्यालय पद्धति संहिता और लोक सभा और राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों और संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी कि गये आदेशों की हस्त पुस्तिका और इस प्रयोजन के लिये राजभाषा के प्रयोग से संबंधित भारतीय रेलवे के आदेशों के संकलन का अध्ययन करें।

भारत के निर्वाचन आयोग के उम्मीदवारों को चाहिये कि वे कार्यालय पद्धति की नियम (मैनुअल आफ आफिस प्रोसिजर) सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान द्वारा जारी की गई कार्यालय पद्धति पर टिप्पणियां तथा संघ के शासकीय, प्रयोजनों के लिये हिन्दी के प्रयोग से सम्बद्ध गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेश पुस्तिका पढ़ें।

उद्योग मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली–1, दिनांक 22 जून 1989

सं० 27/5/89–सी० एल०–2—कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 209 क की उपधारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कम्पनी कार्य विभाग के श्री सत्यनारायण निरीक्षण अधिकारी को उक्त धारा 209 क के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है।

जे० एल० जैम अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)

सं० फा 10-5/89 सांख्यिकी—भारत सरकार निम्नलिखित सदस्यों के साथ 1 जनवरी, 1989 से स्थायी शैक्षिक सांख्यिकी समिति का पुनर्गठन करती है :

1. संयुक्त सचिव (आयोजना) शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय	अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (विश्वविद्यालय) शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
3. संयुक्त सचिव (स्कूल) शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
4. संयुक्त सचिव (ई०ई०) शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
5. उप शिक्षा सलाहकार (आयोजना) शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
6. डा० ए० के० जलालुद्दीन संयुक्त निदेशक रा० शै० अ० प्र० परि० श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली	सदस्य
7. डा० आर० के० माथुर, सर्वेक्षण तथा आंकड़ा प्रक्रिया एकक के प्रोफेसर और अध्यक्ष रा० शै० अ० प्र० परि० श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली	सदस्य
8. निदेशक (तकनीकी) शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
9. निदेशक, एन० आई० ई० ई० पी० ए० 17 बी०, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली।	सदस्य
10. डा० ब्रह्म प्रकाश, सीनियर फैलो. एन० आई० ई० पी० ए०, 17 बी० श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली	सदस्य
11. प्रतिनिधि योजना आयोग नई दिल्ली।	सदस्य
12. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	सदस्य
13. संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन	सदस्य
14. सलाहकार (अनुसंधान) प्रयुक्त मानव शक्ति अनुसंधान संस्थान	सदस्य
15. प्रमुख पद्धति विश्लेषक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र	सदस्य
16. उप सचिव (प्रौढ़ शिक्षा) शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली	सदस्य
17. शिक्षा सचिव, मेघालय सरकार	सदस्य
18. शिक्षा सचिव, बिहार सरकार	सदस्य
19. शिक्षा सचिव पांडिचेरी	सदस्य
20. लोक शिक्षण निदेशक असम सरकार	सदस्य
21. लोक शिक्षण निदेशक, गोवा	सदस्य
22. लोक शिक्षण निदेशक, चंडीगढ़ प्रशासन	सदस्य
23. प्रो० पी० के० बोस, निदेशक संसाधन कार्मिक विकास संस्थान विश्वविद्यालय विज्ञान कालेज, कलकत्ता।	गैसर सरकारी सदस्य
24. डा० एम० बी० बुच प्रधान सम्पादक शिक्षा में अनुसंधान का चौथा सर्वेक्षण, 46, हरी नगर गोतरी रोड़ बड़ोदा।	गैर सरकारी सदस्य
25. डा० एम० के० प्रेमी, प्रोफेसर क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	गैर सरकारी सदस्य
26. उप निदेशक (सांख्यिकी) शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली।	सदस्य सचिव

2. क्रम सं० 17-19 में दिए गए तीन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों को प्रत्येक वर्ष उल्टे वर्णक्रम में बारी-बारी के आधार पर नामांकित किया जाएगा।

3. क्रम सं० 20-22 में तीन राज्यों और संघ शासित राज्यों के डी० पी० आई०/डी० ई० एस० को प्रत्येक वर्ष वर्णक्रम में बारी-बारी के आधार पर नामांकित किया जाएगा।

4. पांच गैर सरकारी सदस्यों (जिनमें से तीन को इस समय नामांकित किया जा रहा है) को भारत सरकार द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए नामांकित किया जाएगा।

5. पुनर्गठित स्थायी समिति के कार्य इस प्रकार होंगे :—

(क) मंत्रालय द्वारा समय-समय पर शैक्षिक आंकड़े एकत्र करने की प्रगति की समीक्षा करना और शैक्षिक आंकड़े एकत्र करने और शैक्षिक आंकड़े के प्रकाशन में लगने वाले समय को कम करने के तरीकों के संबंध में सुझाव देना।

(ख) मंत्रालय द्वारा शुरू किए जाने वाले विषय-उन्मुख अध्ययनों और आवधिक अध्ययनों के लिए विषयों और प्रणाली विज्ञान का सुझाव देना और अनुमोदन करना।

(ग) सांख्यिकी आंकड़ें एकत्र करने तथा उनका प्रसार करने के लिए संगठनात्मक व्यवस्था में सुधार करने के लिए सुझाव देना :

6. मंत्रालय के शिक्षा विभाग के आयोजना, अनुश्रवण और सांख्यिकी प्रभाग द्वारा स्थाई समिति को सचिवालीय सहायता उपलब्ध की जाएगी।

7. स्थायी शैक्षिक सांख्यिकी समिति को गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ते मंहगाई भत्ते का भुगतान का व्यय मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी नियमों के आधार पर वहन किया जाएगा

डा० (श्रीमती) डी० एस० डी० रेबैलो
संयुक्त सचिव (आयोजना)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून, 1989

सं० एफ० 18-18/85/टी०-7टी-13—शैक्षिक अर्हता निर्धारण बोर्ड की सिफारिश पर भारत सरकार को यह सिफारिश करते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार द्वारा यथा मान्यताप्राप्त तकनीकी तथा व्यावसायिक अर्हता संबंधी प्रकाशन में पृष्ठ 9 पर वर्तमान धारा को निम्नलिखित रूप में पुनः शब्दबद्ध किया जाए:—

"मिलिट्री इंजीनियरी कालेज, बिक्री तथा स्कूल आफ सिगनल, महू (जिसका मिलिट्री दूर संचार इंजीनियरी कालेज, महू के रूप में पुनः नामकरण किया गया है) के अस्तित्व में आने से अल्पकालीन दूर संचार पाठ्यक्रम सहित सिगनल अधिकारी विशेष इंजीनियरी पाठ्यक्रम (जिसका सिगनल अधिकारी डिग्री इंजीनियरी पाठ्यक्रम भाग-I) बेसिक इंजीनियरी तथा भाग-II दूर संचार इंजीनियरी के रूप में पुनः नामकरण किया गया है)" "स्कूल आफ मिलट्री इंजीनियरी, रूड़की/किर्की (जिसका मिलिट्री इंजीनियरी कालेज, किर्की के रूप में पुनः नामकरण किया गया था) अधिकारी डिग्री इंजीनियरी के अस्तित्व में आने में (जिसका इंजीनियर अधिकारी डिग्री इंजीनियरों पाठ्यक्रम भाग-I और भाग-II के रूप में पुन पदनामित किया गया है)।"

"मिलिट्री इंजीनियरी कालेज, रूड़की/किर्की (जिसका मिलिट्री इंजीनियरी कालेज, किर्की के रूप में पुन. नामकरण किया गया है) और ई० एम० आई० स्कूल (दक्षिण) सिकन्दराबाद (जिसका मिलिट्री विद्युत यांत्रिकी इंजीनियरी कालेज के रूप में पुनः नामकरण किया गया है) विद्युत तथा यांत्रिकी इंजीनियरी अधिकारी डिग्री इंजीनियरी (जिसका मिलिट्री विद्युत तथा यांत्रिकी इंजीनियरी अधिकारी इंजीनियरी भाग-I बेसिक इंजीनियरी और भाग-II विद्युत/यांत्रिकी इंजीनियरी के रूप में अस्तित्व में आने से पुनः पद नामित किया गया है)। मिलिट्री इंजीनियरी स्कूल रूड़की/किर्की (जिसका मिलिट्री इंजीनियरी कालेज किर्की के रूप में पुनः नामकरण किया गया है (अधिकारी अनुपूरक, इंजीनियरी कालेज-1953 तक (कुल अंकों का 66 प्रतिशत अंकों तक)।"

उपरोक्त संदर्भित प्रकाशन के पृष्ठ 9 पर विद्यमान धाराओं को संदर्भ के लिए उन्हें नीचे उदधृत किया जाता है:—

"मिलिट्री इंजीनियरी कालेज, बिर्की तथा इसके अस्तित्व से आने से स्कूल आफ सिगनल, महू अल्पकालीन दूर संचार पाठ्यक्रमों सहित सिगनल अधिकारी विशेष इंजीनियरी पाठ्यक्रम का (सिगनल अधिकारी डिग्री इंजीनियरी पाठ्यक्रम भाग-I बेसिक इंजीनियरी और भाग-II अल्पकालीन दूरसंचार के रूप में पुनः पदनामित किया गया)।"

"मिलिट्री इंजीनियरी स्कूल, रूड़की-किर्की (जिसका इंजीनियरी कालेज किर्की अधिकारी डिग्री इंजीनियरी, विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी अधिकारी डिग्री इंजीनियरिंग, अधिकारी अनुपूरक इंजीनियरी पाठ्यक्रम के रूप में 1935 तक कुल (अंकों का 66 प्रतिशत अंकों सहित पुनः नामकरण किया गया)।

सुन्दर सिंह,
उपशिक्षा सलाहकार (टी)

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 जून, 1989

सं० ई-1701/1/88-रा० भा०—इस विभाग के दिनांक 24-2-89 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में भारत सरकार एतद्द्वारा श्री मंगल त्रिपाठी 10-बी, डा० कार्तिक बोस स्ट्रीट, कलकत्ता-700009 को डाक विभाग (दूर संचार मंत्रालय) की हिन्दी सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आर० सी० गुप्ता
सचिव, डाक सेवा बोर्ड

LOK SABHA SECRETARIAT

(P. U. BRANCH)

New Delhi-110 001, the 16th June 1989

No. 4/1-PU/89.—Shri Ajit Kumar Saha has resigned from the membership of the Committee on Public Undertakings with effect from 9 June, 1989.

(RCC BRANCH)

The 22nd June 1989

No. 4/5/85-RCC.—Shri T. Chandrasekhar Reddy, Member, Rajya Sabha has been nominated on 19 June 1989 to serve as Member of the Parliamentary Committee to review the Rate of Dividend payable by the Railway Undertaking to General Revenues as well as other ancillary matters in connection with the Railway Finance *vis-a-vis* the General Finance in the vacancy caused by Shri Dharindhar Basumatari on his retirement from Rajya Sabha on completion of his term of office as Member of Rajya Sabha on 14 June 1989.

R. D. SHARMA, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING

New Delhi, the 22nd July 1989

RULES

No. 9/89-CSIL.—The Rules for a Limited Departmental Competitive Examination for inclusion in the Select Lists for the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, Railway Board Secretariat Clerical Service, Department of Tourism (Headquarters Estt.), Central Vigilance Commission and Secretariat of Election Commission of India to be held by the Staff Selection Commission in December, 1989 are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the Select Lists will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the Central Govt. from time to time in the regard Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes), Order, 1950, the Constitution (Scheduled Tribes) Order 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Re-organisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli), Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Scheduled Tribes (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman, and Diu) Scheduled Tribe Order, 1968, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970, the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978, and the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978, the Constitution (Scheduled Tribes) (Maghalaya) Order (Amendment) Act, 1987.

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Any permanent or regularly appointed temporary officer of the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, or Railway Board Secretariat Clerical Service, or the Department of Tourism (Headquarters Estt.) or Central Vigilance Commission or the Election Commission of India who on the 1st August 1989 satisfies the following conditions, shall be eligible to appear at the examination.

(1) *Length of Service*

He should have on the 1st August, 1989 rendered an approved and continuous service of not less than 5 years in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, or Railway Board Secretariat Clerical Service or in the post of Lower Division Clerk in the Department of Tourism (Headquarters Estt.) or in the Central Vigilance Commission or an approved and continuous service of not less than 3 years in the post of Lower Division Clerk in the Secretariat of Election Commission of India.

Provided that if he had been appointed to the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, Railway Board Secretariat Clerical Service or the Department of Tourism (Headquarters Estt.) or the Central Vigilance Commission on the results of a competitive examination, including a Limited Departmental Competitive Examination the result of such examination should have been announced not less than 5 years before the crucial date and should have rendered not less than 4 years approved and continuous service in that Grade

Provided that if he had been appointed to a post of Lower Division Clerk in the Secretariat of Election Commission of India on the results of a Competitive Examination including a Limited Departmental Competitive Examination, the results of such examination should have been announced not less than 3 years before the crucial date and should have rendered not less than 2 years approved and continuous service in that Grade

Note 1.—The limit of 5 years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly as a Lower Division Clerk and partly as Upper Division Clerk in the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service or the Department of Tourism (Headquarters Estt.) or the Central Vigilance Commission.

Note 2. The limit of 3 years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly as a Lower Division Clerk and partly as Upper Division Clerk in the Secretariat of Election Commission of India.

Note 3.—Any permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerk of the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service or of the Secretariat of Election Commission of India or of Department of Tourism (Headquarters Estt.) or of Central Vigilance Commission who joined the Armed Forces during the period of operation of proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely 26th October, 1962 to 9th January, 1968, would on reversion from the Armed Forces, be allowed to count the period of his service (including the period of training, if any) in the Armed Forces towards the prescribed minimum service.

NOTE 4.—Lower Division Clerks who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible, to be admitted to the examinations, if otherwise eligible. This however does not apply to a Lower Division Clerk who has been appointed to an ex-cadre post or to another Services on transfer and does not have a lien in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service or the Secretariat of Election Commission of India or the Department of Tourism (Headquarter Estt.) or the Central Vigilance Commission.

(2) Age

(a) He should not be more than 50 years of age as on 1st August, 1989 i.e. he must not have been born earlier than 2nd August, 1939, if he is a permanent or regularly appointed Lower Division Clerk of any of the Services mentioned in para 1 above.

(b) The upper age limit prescribed above will be further relaxable :—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribes;

(ii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and has migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964

(v) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964

(vi) upto a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar),

(vii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(viii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) upto a maximum of three years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof,

(xi) upto a maximum of eight years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xii) upto a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilites of 1971 and released as a consequence thereof;

(xiii) upto a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof, and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xiv) upto a maximum of three years if the candidate is bona fide repatriate of India origin from Vietnam and has migrated to India not earlier than July, 1975;

(xv) upto a maximum of eight years if the candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Vietnam and has migrated to India not earlier than July, 1975;

(xvi) upto a maximum of 3 years if a person is displaced from the erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period from 1st January, 1971 to 31st March, 1973;

(xvii) upto a maximum of 5 years in addition to the relaxation as at (xvi) above if a candidate belongs to Scheduled Castes/Scheduled Tribe and displaced from the erstwhile West Pakistan and has migrated to India during the period from 1st January, 1971 to 31st March, 1973.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED

(3) Typewriting Test : Unless exempted from passing the Monthly/Quarterly Typewriting Test held by Union Public Service Commission/Secretariat Training School/Institute of Secretariat Training and Management (Examination Wing) /Subordinate Service Commission/Staff Selection Commission for the purpose of confirmation in the Lower Division Grade, he should have passed this test on or before the date of notification of the examination.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information; or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or

(vii) using unfair means in the examination hall; or

(viii) misbehaving in the examination hall; or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period :

(i) by the Commission from any examination or Selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

8. Any attempt on the part of the candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to be a conduct which would disqualify him for admission to the examination.

9. Candidates must pay the prescribed fee except those who are claiming fee concession in terms of provision in the Commission's notice.

10. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in five separate lists in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade upto the required number:

Provided that the candidate belonging to any of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates, for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

NOTE—Candidates should clearly understand that this is a Competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in the Select List for the Upper Division Grade on the results of the examination is entirely, within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in his examination, as a matter of right.

11. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in its discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

12. Success in the examination confers no right to selection unless the cadre authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate having regard to his conduct in service, is suitable in all respects for selection.

Provided that the decision as to whether a particular candidate recommended for selection by the Commission is not suitable shall be taken in consultation with the Department of Personnel and Training.

13. A Candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment in the Central Secretariat Clerical Service/Railway Board Secretariat Clerical Service/Election Commission/Deptt. of Tourism (Headquarters Estt.)/Central Vigilance Commission or otherwise quits the Service or severs his connection with it, or whose services are terminated by the Department or, who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service/Railway Board Secretariat Clerical Service/Election Commission/Department of Tourism (Headquarters Estt.)/Central Vigilance Commission will not be eligible for appointment on the result of this examination.

This however, does not apply to a Lower Division Clerk who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

DR. RAVENDRA SINGH, Under Secy.

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part I—Written examination carrying a maximum of 300 marks in the subjects as shown in para 2 below.

Part II—Evaluation of record of service of such of the candidates who attain at the written examination, a maximum standard as may be fixed by the Commission in their discretion carrying a maximum of 100 marks.

2. The subjects of the written examination in Part I, the maximum marks allotted to each paper and the time allowed will be as follows :—

Subject	Maximum marks	Time
Paper-I (Objective Type)		
(a) General Awareness 100 Questions		
(b) Comprehension and writing ability of English language 100 Questions	200 marks	2 hours
Paper-II		
Noting, Drafting & Office Procedure	100 marks	2 hours

Paper I—Will be 'Objective-Multiple-Choice-Type' where as the paper—II will be of Descriptive type.

Note—There will be separate papers on Noting, Drafting and Office Procedure for candidates belonging to the three categories, viz.

(i) C.S.C.S., Department of Tourism (Headquarters Estt.) and Central Vigilance Commission.

(ii) R.B.S.C.S.

(iii) Election Commission.

3. The syllabus for the examination will be as shown in the Schedule below.

Note I—Candidates are allowed the option to answer the paper-II Noting, Drafting & Office Procedure either in English or Hindi.

Note II—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

Note 3.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi (Devanagari) or in English should indicate their intention to do so clearly in column 6 of the application form; otherwise, it would be presumed that they would answer the papers in English.

Note 4.—The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in column 6 of the application form shall ordinarily be entertained.

Note 5.—Question papers will be supplied both in Hindi and English.

Note 6.—No credit for paper II will be given for answer written in a language other than the one opted by the candidate.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects at the examination.

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

7. Deduction upto 5 per cent of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

Syllabus of Examination

Paper-I(a) General Awareness : Question will be aimed at testing the candidates general awareness of the environment around him and its application to society. Questions will also be designed to test knowledge of current events and of such matters of every day observations and experience in their scientific aspect as may be expected of an educated person. The test will also include questions relating to India and its neighbouring countries especially pertaining to History, culture, geography, economic scene, general polity and scientific research.

(b) *Comprehension and writing ability of English Language* : Questions will be designed to test the candidate's understanding and knowledge of English language, vocabulary, spellings, grammar sentence structure, synonyms, antonyms, sentence completion, phrases and idiomatic use of words etc. There will be a question on comprehension of a passage.

Paper II—Noting and Drafting and Office Procedure.—The paper on Noting and Drafting and Office Procedure will be designed to test the candidates' knowledge of Office Procedure in the Secretariat and Attached Offices and generally their ability to write and understand notes and drafts.

Candidates belonging to Central Secretariat Clerical Service Department of Tourism (Headquarters Estt.) and Central Vigilance Commission are required to study the manual of Office Procedure, Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management—the Rules of Procedure and Conduct of Business, Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the Hand Book of Orders issued by the Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi for Official purposes of the Union for this purpose.

Candidates belonging to Railway Board Secretariat Clerical Services are required to study the Manual of Office Procedure issued by the Railway Board and the Rules of Procedure and conduct of Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the Hand Book of orders issued by the Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi for official purposes of the Union and the Indian Railways Compendium of orders regarding use of Official Language for this purpose.

Candidates belonging to Election Commission of India are required to study the Manual of Office Procedure, Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management and the Hand Book of Orders issued by the Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi for Official purpose of the Union for this purpose.

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi, the 22nd June 1989

No. 27/5/89-CL.II.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorise Shri Y. Satyanarayana, Inspection Officer, in the Department of Company Affairs for the purpose of the said section 209A.

J. L. JAIN, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 23rd May 1989

No. F.10-589-Stat.—The Government of India hereby reconstitutes the Standing Committee on Educational Statistics with effect from 1st January, 1989 with following memberships :

Chairman

1. Joint Secretary (Planning),
Department of Education,
Ministry of Human Resource Development.

Members

2. Joint Secretary (University),
Department of Education,
Ministry of Human Resource Development.

3. Joint Secretary (School),
Department of Education,
Ministry of Human Resource Development.

4. Joint Secretary (EE),
Department of Education,
Ministry of Human Resource Development.

5. Deputy Educational Adviser (Planning),
Department of Education,
Ministry of Human Resource Development.

6. Dr. A. K. Jalaluddin.
Jt. Director,
NCERT, Sri Aurobindo Marg.

7. Dr. R. K. Mathur,
Professor & Head of Survey &
Data Processing Unit,
NCERT, Sri Aurobindo Marg.

8. Director (Technical),
Department of Education,
Ministry of Human Resource Development.

9. Director,
NIEPA, 17B, Sri Aurobindo Marg.

10. Dr. Bramh Prakash.
Senior Fellow,
NIEPA, 17B, Sri Aurobindo Marg,

11. Representative,
Planning Commission

12. Secretary,
University Grant Commission.

13. Joint Director,
Central Statistical Organisation.

14. Adviser (Research),
Institute of Applied Manpower Research

15 Principal System Analyst,
National Informative Centre.

16. Deputy Secretary (Adult Education),
Department of Education,
Ministry of Human Resource Development.

17. Education Secreary,
Government of Meghalaya.

18. Education Secretary,
Government of Bihar

19. Education Secretary,
Government of Pondicherry.

20. Director of Public Instructions,
Government of Assam.

21. Director of Public Instructions,
Government of Goa.

22. Director of Public Instructions,
Chandigarh Administration.

Non-Official Member

23. Prof. P. K. Bose,
Director,
Institute for Development of
Resource Personnel,
University College of Sciences,
Calcutta.

24. Dr. M. B. Buch,
Chief Editor,
Fourth Survey of Research in Education,
46, Hari Nagar,
Gotri Road, Baroda.

25. Dr. M. K. Premi,
Professor,
Centre for the study of Regional
Development,
Jawaharlal Nehru University.

Member-Secretary

26. Deputy Director (Statistics),
Department of Education,
Ministry of Human Resource Development.

2. Education Secretaries of three States and Union Territories at S. Nos. 17-19 are to be nominated every year on rotation basis in reverse alphabetical order.

3. DPI/DES of three states and Union Territories at S. No. 20-22 are to be nominated every year on rotation basis in alphabetical order.

4. Five non-official members (three of whom only are being nominated at present) are to be nominated by the Government of India for a period of three years

5. The functions of the reconstituted Standing Committee will be as under :

(a) To review the progress of collection of Educational Statistics by the Ministry periodically and suggest the ways and means to reduce the time lag in the collection and publication of Educational Statistics.

(b) To suggest and to approve the topics and methodologies for the theme-oriented studies and periodical studies to be undertaken by the Ministry.

(c) To suggest the list of items on which collection should be done on periodical basis.

(d) To make suggestions for improving the organisational arrangements for collection and dissemination of Educational data

(e) Any other related matter.

6. Secretarial assistance to the Standing Committee will be provided by Planning, Monitoring & Statistics Division of the Department of Education of the Ministry.

7. The expenditure towards the payment of T.A./D.A. to the Non-official members of the Standing Committee on Educational Statistics will be met by Department of Education of the Ministry as per Government rules.

DR. (MRS.) D. M. DE REBELLO, Jt. Secy.

New Delhi, the 2nd June 1989

No. (19) [No. F.18-18/85.T.7/T.13].—On the recommendations of the Board of Assessment for Educational Qualifications, the Government of India has been pleased to recommend that the existing clauses at page 9 in the Publication on "Technical and Professional Qualifications recognised by the Government of India", 1978 edition, be reworded as under :—

"College of Military Engineering, Kirkee and School of Signals, Mhow (renamed as Military College of Telecommunication Engineering, Mhow) Signal Officers Special Enginering Course with short telecommunication course from its inception (re-designated as Signal Officers Degree Engineering Course Part I—Basic Engineering and Part-II—Telecommunication Engineering)",

"School of Military Engineering, Roorkee/Kirkee (renamed as College of Military Enigneering, Kirkee) Officers Degree Engineering (Re designated as Engineer Officers Degree Engineering Course Part I and Part II) from its inception".

"School of Military Engineering, Roorkee/Kirkee (renamed as College of Military Enginering, Kirkee) and EME School (South) Secunderabad (renamed as Military College of Electronics and Mechanical Enginering, Secunderabad), Electrical and Mechanical Enginering Officers Degree Engineering (re-designated as Electrical and Mechanical Engineering Officers Degree Engineering Part-I—Basic Engineering and Part II Electronics/Mechanical Engineering) from its inception".

"School of Military Engineering, Roorkee/Kirkee (renamed as College of Military Engineering, Kirkee) Officers Supplimentary Engineering Course upto 1958 (with 66% marks in aggregate)".

The existing clauses at page 9 in the Publication referred above are reproduced below for reference :-

"College of Military Engineering, Kirkee and School of Signals, Mhow—Signal Officers special Engineering Course with short Tele-communication Course from its inception (Re-designated as Signal Officers Degree Engineering Course Part I Basic Engineering and Part-II—Short Tele-communication)"

"School of Military Engineering, Roorkee/Kirkee (renamed as College of Engineering Kirkee Officers Degree Engineering, Electrical and Mechanical Engineers Officer's Degree Engineering. Officers supplimentary Engineering Course upto 1935 (with 66% marks in Aggregate)".

SUNDER SINGH, Dy. Educational Adviser (T)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110 001, the 22nd June 1989

RESOLUTION

No. F-1701/1/88-OL.—In continuation of the Department's Resolution of even number dated 24-2-1989, the Government of India hereby nominates Shri Mangal Tripathi, 10-B, Dr. Kartik Bose Street, Calcutta-700 009 as Member of the Hindi Salahkar Samiti of the Department of Posts (Ministry of Communications).

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. C. GUPTA, Secy. Postal Services Board

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1989